नवभारत
छत्तीसगढ़ • ओडिशा
Rajdhani - 27 Jun 2025 - 27raj1
epaper.navabharat.news

छत्तीसगढ़ ने विवाद सुलझाने आर्बिट्रेटर भी नियुक्त किए, तेलंगाना मौन

तेलंगाना से बकाया बिजली बिल लेने कोर्ट पहुंची पावर कंपनी

नवभारत रिपोर्टर। रायपुर।

छत्तीसगढ़ से बिजली लेकर 1800 करोड़ रुपए (सरचार्ज भी शामिल) देने में तेलंगाना आनाकानी कर रहा है। तमाम प्रयास के बाद भी बकाया बिल का भुगतान नहीं करने पर अब छत्तीसगढ़ पावर वितरण कंपनी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। विवाद सुलझाने के लिए छत्तीसगढ़ पावर कंपनी ने आर्बिट्रेटर भी नियुक्त कर दिए हैं परंतु तेलंगाना आर्बिट्रेटर नियुक्त करने कोई रुचि नहीं दिखा रहा है। तेलंगाना केवल 500 करोड़ रुपए देने की जिद अड़ा हुआ है।

छत्तीसगढ़ और तेलंगाना सरकार के बीच 2015 में मड़वा में स्थित 500-500 मेगावॉट क्षमता के पावर प्लांट से हर माह उत्पादित पूरी बिजली देने एमओयू हुआ था। जानकारी के अनुसार बिजली की दर 4.21 रुपए प्रति यूनिट तय भी हुई थी। करार के अनुसार छत्तीसगढ़ ने तेलंगाना को वर्ष 2016 से हर माह बिजली देना प्रारंभ किया। साथ ही हर माह बिजली बिल का भुगतान भी किया जाना था। तेलंगाना ने हर माह बिजली तो ली किन्तु बिल अदा नहीं किया। बिना बिल भुगतान किए 2-3 साल तक तेलंगाना को बिजली मिलती रही। जिसके कारण बिल 3700 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। लगातार पत्र व्यवहार और चर्चा के बाद भी तेलंगाना ने बिल का भुगतान करने में रुचि नहीं दिखाई तो छत्तीसगढ़ राज्य पावर वितरण कंपनी ने बिजली सप्लाई रोक दी। बिजली मिलनी बंद हुई तो तेलंगाना हड़बड़ा गया और फिर बातचीत शुरू की। जिसके बाद तेलंगाना 2100 करोड़ रुपए प्रति माह किस्तों में देने राजी हुआ। वहीं शेष राशि को यह कहते हुए देने से इंकार कर दिया कि छत्तीसगढ़ ने गलत बिलिंग की है। सालभर तक चर्चा के बाद तेलंगाना बकाया राशि में >> शेष पेज 6 पर

छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के बीच बकाया राशि को लेकर विवाद के निपटारे के लिए सालभर पहले ऊर्जा मंत्रालय ने भी मध्यस्थता की थी। विवाद को आपस में बैठक कर चर्चा के माध्यम से सुलझाने की बात ऊर्जा मंत्रालय के अधिकारियों ने कही थी। इसके बाद भी तेलंगाना केवल 500 करोड़ रुपए ही देने की जिद पर अड़ा हुआ है। तेलंगाना का कहना है कि गलत बिलिंग वाली राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा।

तेलंगाना ने ऊर्जा मंत्रालय की बात भी नहीं सुनी

अवस्थी आर्बिट्रेटर नियुक्त किए गए

बकाया बिजली बिल के विवाद का निराकरण करने छत्तीसगढ़ ने कंपनी के सेवानिवृत्त कार्यपालक निदेशक आर. के. अवस्थी को आर्बिट्रेटर भी नियुक्त किया लेकिन तेलंगाना ने आर्बिट्रेटर नियुक्ति करने में रुचि नहीं दिखाई। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ ने 1 अप्रैल 2022 से तेलंगाना को बिजली देना बंद कर दिया है।